

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 44/2026 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

हरीराम पुत्र रजीराम जाति जाट साकिन किकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
-वादी

बनाम

1. रजीराम पुत्र लच्छूराम जाति जाट साकिन किकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. रमेश कुमार पुत्र रजीराम जाति जाट साकिन किकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. कौशल्या पुत्री रजीराम पत्नी कृष्ण लाल जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. धापी देवी पुत्री रजीराम पत्नी राकेश जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. किरण बाला पुत्री रजीराम पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री बलवन्तराम खद्दा वकील-वादी

श्री राकेश कुमार वर्मा वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 6

निर्णय दिनांक- 24/3/2026

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण व राजपेरोकार की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक 1 के.के.एस.एम. के खाता सं. 29 के प.नं. 197/15(43) के किला नं. 6, 7, 8, 14ता 17 की 1.7710 है. 24/2 की 0.2150 है. 25/2 की 0.2150 है. व प.नं. 197/23(44) के किला नं. 9ता 12, 18, 19, 20 की 1.7710 है. 21/2 की 0.2150 है. 22/1 की 0.2150 है. 23/2 की 0.2150 है. कुल- 4.6170 है. कमाण्ड भूमि तहसील रावतसर की में से 3463/4617 हिस्सा जो वर्तमान में प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज है में से 2.3085 है. भूमि का वादी को तथा 1.1545 है. भूमि का प्रतिवादी नं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 24/3/2026
...को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

